उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 19 | 1-15 अक्टूबर 2022 | ₹ 20/-

हिजाब पर सर्वोच्च न्यायालय का खंडित फैसला

- जनसंख्या संतुलन के लिए नई नीति बनाने पर जोर
- संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा स्थगित
- ईरान में हिजाब विरोधी जनांदोलन में 200 मरे
- स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर 1000 डॉलर जुर्माना

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

हिजाब पर सर्वोच्च न्यायालय का खंडित फैसला 04
जनसंख्या संतुलन के लिए नई नीति बनाने पर जोर 08
गैरकानूनी मदरसे 12
पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध की पुष्टि के लिए न्यायाधिकरण का गठन 14
टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने पर विवाद 16

विश्व

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा स्थगित 17
काबुल के स्कूल में आत्मघाती हमले से 100 बच्चे मरे 19
जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद में अजान 20
रूस में मीडिया पर प्रतिबंध 21
चीन द्वारा बलूचों को पाकिस्तान भेजने के लिए दबाव 22

पश्चिम एशिया

ईरान में हिजाब विरोधी जनांदोलन में 200 मरे 23
तेल के उत्पादन में कटौती से सऊदी अरब और अमेरिका में ठनी 26
इराक का नया राष्ट्रपति 28
इजरायल और लेबनान के बीच समझौता 29
सोमालिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हमला 29

अन्य

स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर 1000 डॉलर जुर्माना 30
समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग रद्द 30
आईएसआईएस केस में आरोपी बरी 30
महाराष्ट्र में टेलीफोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम् 31
काबा की जियारत करने वालों के लिए बहुभाषी कर्मचारी 31

सारांश

हिजाब का विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। हिजाब पहन कर शिक्षा संस्थानों में आने वाली छात्राओं के प्रवेश पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो प्रतिबंध लगाया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौतो दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ में शामिल दो न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग निर्णय दिए हैं। इससे मामला और उलझ गया है। अब मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़े न्यायपीठ का गठन करना होगा। मुसलमानों का एक वर्ग अब भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है और इसका स्पष्ट उल्लेख कुरान के सात आयतों में किया गया है, जिनकी पुष्टि हदीस द्वारा भी की गई है। हालांकि यूरोप के अधिकांश देशों में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जहां तक मुस्लिम देशों का संबंध है, सऊदी अरब एक मात्र ऐसा देश है, जहां पर हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है। हालांकि वहां भी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के प्रयास से वातावरण बदल रहा है। ईरान, जिसे सबसे कट्टर इस्लामिक देश माना जाता था, वहां के युवा वर्ग ने हिजाब और बुर्का के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया है। सरकारी सूचना के अनुसार अब तक 200 के लगभग महिलाएं हिजाब का विरोध करते हुए मारी गई हैं। ईरानी महिलाओं के समर्थन में पूरे विश्व की जनभावना जागृत हो चुकी है।

शिंजियांग क्षेत्र में रहने वाले उइगर मुसलमानों के साथ चीन सरकार के उत्पीड़न की चर्चा विश्व मीडिया में काफी गरम है। कहा जाता है कि दस लाख चीनी मुसलमानों को अवैध हिरासत में रखा गया है और उनकी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए चीनी शासकों द्वारा जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चीनी शासकों का यह प्रयास है कि चीनी मुसलमान अपनी अलग पहचान को छोड़कर चीनी समाज में घुल-मिल जाएं। बड़ी अजीब बात यह है कि जब इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विचारार्थ एक प्रस्ताव पेश किया जाने वाला था तो अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इस विरोध के कारण उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पश्चिमी देशों का आरोप है कि मुस्लिम देशों ने चीन के दबाव में आकर पीड़ित चीनी मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है।

अफगानिस्तान में धमाकों का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में काबुल के एक स्कूल में हुए धमाके में कम-से-कम 100 निर्दोष छात्र एवं छात्राएं मारे जा चुके हैं। मरने वालों का संबंध शिया संप्रदाय या हजारा कबीले से है। इस धमाके के पीछे सुन्नी आतंकवादी संगठन आइ.एस.आई.एस. का हाथ बताया जाता है। इससे साफ है कि इस्लामिक खिलाफत अलकायदा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह तालिबान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहा है।

अरब जगत में राजनीति नई करवट ले रही है। तेल के उत्पादन में कटौती करने के प्रश्न पर सऊदी अरब और अमेरिका में ठन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब तीन महीने पूर्व सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो उन्होंने सऊदी अरब के शासकों पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वे तेल के उत्पादन में कटौती न करें। इसका मूल कारण यह था कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और यदि तेल के उत्पादन में कटौती की गई तो विश्व बाजार में तेल के मूल्य बढ़ेंगे। इसका विपरीत प्रभाव अमेरिका में बाइडेन के वोट बैंक पर पड़ेगा। मगर सऊदी अरब ने अमेरिका के इस आग्रह को ठुकरा दिया। इसके बाद इन दोनों पुराने सहयोगियों में काफी खटास आ गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सऊदी अरब को खतरनाक परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली है। अमेरिका का आरोप है कि सऊदी अरब ने यह फैसला मास्को के दबाव में लिया है। अमेरिका का यह अनुमान था कि यूक्रेन के युद्ध में उसका पुराना सहयोगी सऊदी अरब उसे समर्थन देगा। मगर सऊदी अरब इस मामले में तटस्थ रहा। हाल ही में सऊदी अरब के नेताओं ने रूस का जो दौरा किया है, उससे भी अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है।

राष्ट्रीय

हिजाब पर सर्वोच्च न्यायालय का खंडित फैसला

कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध का जो विवाद गत कई महीनों से चल रहा है, अब उसने एक नया मोड़ ले लिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का जो आदेश जारी किया था, उसे देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में दो महीने तक चली बहस के बाद न्यायालय की न्यायपीठ के दो न्यायाधीशों ने एक दूसरे के विपरीत फैसले सुनाकर एक नया संकट पैदा कर दिया है, जिसके निराकरण के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पूर्ण न्यायपीठ का गठन करना पड़ेगा। अजीब बात यह है कि जिस हिजाब को बरकरार रखने के लिए इस्लामिक उलेमा और नेता जमीन-आसमान एक कर रहे हैं, उसे ही उतार फेंकने के लिए ईरान में एक उग्र आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने एक दूसरे के विपरीत फैसले दिए हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इस फैसले को रद्द करते हुए हिजाब पर पाबंदी को हटाने का आदेश जारी किया है। उर्दू के समाचारपत्रों ने मुख्यतः न्यायमूर्ति धूलिया के फैसल को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है और उसका समर्थन किया है। दूसरी ओर, हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने फैसले में 11 प्रश्न किए हैं और मेरे अनुसार इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपीलकर्ता के खिलाफ जाता है, इसलिए मैं अपील को खारिज कर रहा हूं। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गया है। इस बात की संभावना है कि इस मामले पर विचार करने के लिए एक पूर्ण न्यायपीठ का गठन किया जाएगा।

इंकलाब न अपने इसी अंक में जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने धूलिया के दृष्टिकोण का समर्थन किया है और उसे

भारतीय संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुरूप बताया है। मदनी ने यह आशा व्यक्त की है कि पूर्ण न्यायपीठ इस मामले पर विचार करके उन मुस्लिम बच्चियों को राहत देगी जो अपनी धार्मिक पहचान की रक्षा करते हुए हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी न्यायमूर्ति धूलिया के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने न जाने उन मुद्दों पर विचार क्यों नहीं किया, जिनकी चर्चा न्यायमूर्ति धूलिया ने की है। उन्होंने कर्नाटक सरकार से अपील की है कि वह हिजाब पर अपने फैसले को वापस लेकर इस विवाद को समाप्त कर दे। ताकि मुस्लिम बच्चियां अपने दीन का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें।

रोजनामा सहारा (14 अक्टूबर) ने हिजाब के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है और कहा है कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का मूल व अनिवार्य हिस्सा है। जबकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कर्नाटक में हिजाब के मामले को भाजपा ने गैरजरूरी तौर पर उठाया है और उसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर समाज में अशांति पैदा की है। मेरी राय में कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला कानूनी दृष्टि से सही नहीं है और इसमें कुरान की व्याख्या गलत ढंग से की गई है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने सवोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि हमें अदालत से एक बेहतर फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्का न पहनने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इस अदालती फैसले के बाद पूरे कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

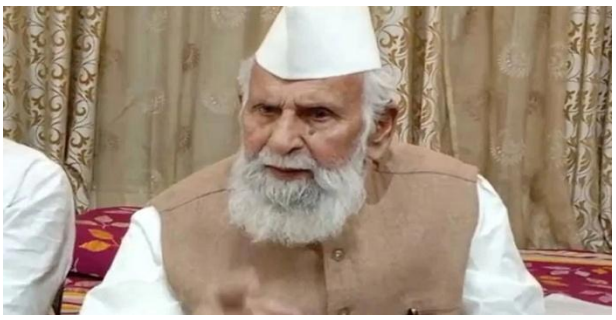

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 अक्टूबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि महिलाओं के बेपर्दा रहने से आवारगी बढ़ती है। इसलिए कुरान पाक का यह निर्देश है कि लड़कियों को हिजाब में रखा जाए ताकि वे लोगों की बुरी नजर से दूर रहें।

अवधनामा (14 अक्टूबर) के अनुसार लखनऊ के शाही ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि पर्दा इस्लाम का बुनियादी अधिकार है और भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई है। इसलिए हिजाब पहनने और न पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को हमारी धार्मिक आजादी को छीनने का अधिकार नहीं है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्का पहनकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और उससे किसी को परेशानी नहीं है। खेद की बात यह है कि कुछ फिरकापरस्त ताकतें जानबूझकर हिजाब पर विवाद उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि वे यह नहीं चाहतीं कि मुस्लिम महिलाएं शिक्षित हों।

रोजनामा सहारा (14 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की आलोचना करते हुए कहा है कि अगले दो तीन दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति गुप्ता का यह फैसला कोई चौकाने वाला नहीं है। केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने जिस तरह से प्रश्न उठाए थे, उससे यह साबित हो गया था कि वे पूर्व

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का अनुसरण करने वाले हैं। हाल के वर्षों में कई न्यायाधीशों ने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व कई ऐसे फैसले किए, जिनका असर दशकों तक महसूस होता रहेगा। यह फैसला भी उनमें से एक है। जहां तक हिजाब का मामला है, भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत उसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है और इस आजादी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न तो समाज और न ही सर्वोच्च न्यायालय अपनी किसी राय को लोगों पर लाद सकता है। हिंदुओं में भी पर्दे की परंपरा रही है। कुछ समय पहले तक हिंदू अपनी विधवाओं को सती की भेंट चढ़ाने में गौरव महसूस करते थे। आज भी हिंदू समाज बेपर्दा के खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के जुनून में एक कट्टरपंथी वर्ग हिजाब का विरोध कर रहा है और उसे परोक्ष रूप से सरकार का भी समर्थन प्राप्त है।

इत्तेमाद (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस वर्ष के प्रारंभ में कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने पर विवाद खड़ा किया गया था। मुस्लिम छात्राओं ने इसका विरोध किया। मगर कर्नाटक सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। उच्च न्यायालय ने हिजाब पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि इस्लाम के अनुसार हिजाब अनिवार्य नहीं है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने कुरान की आयतों और इस्लामिक विद्वानों की राय का भी उल्लेख किया था। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मुस्लिम छात्राओं ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि किसी भी अदालत को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और न ही अदालत कुरान मजीद की व्याख्या ही कर सकती है। यह मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। उनका यह भी कहना था कि सरकार ने हिजाब पर तो प्रतिबंध लगा दिया। मगर अन्य धर्मों की धार्मिक पहचान जैसे घूंघट, पल्लू, चूड़ी, बिंदी, सिखों की पगड़ी और कड़े पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संविधान की धारा 29 और 30 में सिर्फ अल्पसंख्यकों को इस बात का अधिकार है कि वे अपनी भाषा और सभ्यता की रक्षा करें। हिजाब मुसलमानों की संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। इसो तरह से तीन तलाक के मुद्दे को भी अदालतों ने उलझा दिया था। जिस तरह से तीन तलाक के प्रतिबंध को भाजपा अपना कारनामा बता रही है, उसी तरह से हिजाब को भी भाजपा अपना कारनामा बताएगी। ताकि कर्नाटक विधान सभा के चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। सच तो यह है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों की अलग पहचान को समाप्त करना चाहती है। इसलिए वह बार-बार ऐसे मुद्दे उठा रही है, जिसका संबंध मुसलमानों की आस्था से है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में हिजाब पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलाचना की है और कहा है कि यह तय है कि हिजाब के बारे में लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग हिजाब को सही समझते हैं। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर जो मतभिन्नता व्यक्त की है, वह भारत जैसे देश के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। बेहतर यह होता कि दोनों न्यायाधीशों की इस मुद्दे पर एक राय होती। इसमें शक नहीं कि हिजाब एक विवादित मुद्दा है। इस पर प्रत्येक की अपनी-अपनी राय है। एक सवाल यह भी है कि बुर्क और हिजाब में कितना फर्क है? प्रत्येक शिक्षा संस्थान के अपने-अपने नियम हैं, जिसके अनुसार छात्र-छात्राओं को एक विशेष ढंग के कपड़े पहनने

पड़ते हैं। देश को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के फैसले को प्रतीक्षा है।

अवधनामा (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों में मतभेद होना कोई नइ बात नहीं है। मगर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब पर चर्चा हो रही थी और तर्क दिए जा रहे थे, इससे यह अंदाजा हो रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों में जाने का अधिकार मिलेगा। लेकिन इस फैसले से लागों को हैरानी हुई है। उच्च न्यायालय में भी जिस तरह से कुरान की आयतों और उसकी व्याख्या को पेश किया गया है, वह एक धार्मिक अल्पसंख्यक के बुनियादी अधिकारों के अनुसार नहीं है। हिजाब के मामले को जानबूझकर हवा दी गई है। अगर ऐसे में मुसलमानों के पक्ष में काई फैसला हो जाता है तो क्या वे लोग चुप बैठेंगे जिन्होंने इस मुद्दे को हवा दी थी? जब कोई समस्या को धार्मिक रंग दे दिया जाए तो फिर निर्णय करना आसान नहीं होता। अब मुसलमानों को पूर्ण न्यायपीठ के सामने अपने दृष्टिकोण को साबित करने की तैयारी कर लेनी चाहिए कि क्या हिजाब के बारे में इस्लाम में जो निर्देश दिया गया है वह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं?

सालार (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में हिजाब और बुर्के का पुरजोर समर्थन किया है और उसे इस्लाम का एक अभिन्न अंग बताया है। समाचारपत्र का कहना है कि आज-कल मुसलमानों के कुछ ऊपरी तबकों की बिगड़ी हुई लड़कियां फैशन के नाम पर हिजाब और बुर्के का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उससे पूरी कौम का सिर शर्म से झुक जाता है। आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमान अपनी अलग पहचान को बरकरार रखने के लिए संघष कर रहे हैं। भारत में वर्तमान समय मुसलमानों के लिए कड़ी परीक्षा का है। उन्हें अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए संघर्ष करने को तैयार रहना चाहिए। ऐसा बार-बार कहा जाता है कि हम इस देश पर एक हजार वर्ष से शासन कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि शासन की बागडार मुसलमानों के हाथ से कैसे निकल गई? एक हजार वर्ष तक किसी भी मुस्लिम शासक ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। बल्कि इस्लाम का प्रचार करने वाले को कष्ट ही दिया। मुस्लिम शासकों ने महलों का निर्माण तो कर लिया। मगर मुस्लिम समाज को शरीयत के अनुसार ढालने का कोई प्रयास नहीं किया। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उसमें अगर हम संभल नहीं तो फिर हम मिटा दिए जाएंगे और हमारी अलग पहचान समाप्त हो जाएगी।

सालार (14 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में हिजाब की जोरदार वकालत की है और कहा है कि हिजाब ही एक मात्र ऐसी व्यवस्था है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है और वे बुरी नजर से बच सकती हैं। इसलिए इस्लाम में पर्दा पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान पाक में सात आयतें महिलाओं के पर्दे से संबंधित हैं और 90 से ज्यादा हदीसों में पर्दे पर जोर दिया गया है। इस्लामिक हिजाब का यह हरगिज मतलब नहीं है कि इस्लाम ने महिलाओं को घरो में कैद कर दिया है। जैसा कि आजकल कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। बल्कि इस्लाम ने जरूरत के समय पर्दे के साथ महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति दी है। कुरान में कहा गया है, 'हे पैगम्बर, आप अपनी बीवियों और मुस्लिम महिलाओं से कह दीजिए कि वे अपनी चादरें ऊपर लटकाएं। ताकि वे पहचानी तो जा सकें मगर उन्हें कोई न सताए।' इस आयत से साफ है कि महिलाओं को यह निर्देश दिया गया है कि अगर व घर से बाहर निकलती हैं तो बुर्का या लंबी चादरें लपेट कर निकलें। यही इस्लामिक आदेश है।

जनसंख्या संतुलन के लिए नई नीति बनाने पर जोर

सालार (6 अक्टूबर) के अनुसार दशहरे के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपने उद्‌बोधन में जो कुछ कहा है वह उनके संगठन का वर्षों का सपना है और उसी के अनुसार भाजपा की मोदी सरकार काम कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत को ऐसे कानून की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यह संभव है कि मोदी सरकार शीघ्र ही जनसंख्या से संबंधित कानून को संसद में पेश करे। मोहन भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि धार्मिक आधार पर भी जनसंख्या का संतुलन बहुत जरूरी है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बढ़ती जनसंख्या के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और अगर संसाधनों में वृद्धि किए बिना जनसंख्या बढ़ती है तो यह एक समस्या बन जाती है। मगर यदि जनसंख्या का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह लाभदायक भी बन जाता है। दुनिया के किसी भी देश में 57 करोड़ युवा नहीं हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन अब बूढ़ा हो चुका है। हमें इस बात को समझना होगा।

भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान ने इतिहास में जनसंख्या में असंतुलन के कारण गंभीर समस्याओं को भुगता है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जिस पर समाज के सभी वर्ग अमल करें। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और विदेशियों की घुसपैठ से देश में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, जो बेहद ही गंभीर मामला है। जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देश विघटित हो गए। पूर्वी तिमोर, दक्षिणी सूडान और कोसोवो इसक उदाहरण हैं। भागवत ने मांग की कि सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे। इसे पूरी गंभीरता से तैयार करना चाहिए और इसे पूरे समाज पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस नीति से किसी भी वर्ग को मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। इस वष के समारोह की विशेष अतिथि पद्‌मश्री संतोष यादव थीं जो कि एक पर्वतारोही हैं।

सियासत (6 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात का खंडन किया है कि हिंदू समाज या संघ

की ओर से मुसलमानों को किसी तरह का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह का दुष्प्रचार अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए किया जा रहा है। संघ भाईचारे और सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का समर्थक है। हम किसी के लिए कोई खतरा नहीं हैं और इस तरह का प्रचार निराधार है। उन्होंने समाज में समरसता लाने और दलितों के साथ समतापूर्वक व्यवहार करने पर भी बल दिया और कहा है कि कौन घोड़े पर सवार हो सकता है और कौन नहीं, इस तरह की बातों को अब हटा देना चाहिए। समाज में सभी के लिए एक ही मंदिर, पानी और श्मशान होना चाहिए। स्वयंसेवकों को समाज मं समरसता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि जात-पात के आधार पर भेदभाव दूर हो सके। यह भेदभाव हिंदू धर्म की मूल भावनाओं के खिलाफ है।

रोजनामा सहारा (7 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान की आलोचना को है और कहा है कि भागवत गत कुछ महीनों से जिस तरह से जनसंख्या के मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। इससे यह लग रहा है कि अगले चुनाव में इसी को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा भी यही बनेगा और जनसंख्या में असंतुलन के मुद्दे पर धुर्वीकरण किया जाएगा। वैसे भी अब बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर निर्माण के बाद कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, जिस पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। शायद यही कारण है कि अब मोहन भागवत के प्रत्येक भाषण में जनसंख्या के मुद्दे को किसी न किसी तरह से उछाला जाता है। नागपुर में आयोजित विजयादशमी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बढ़ती जनसंख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया है। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, बेरोजगारी, दलितों के उत्पीड़न आदि मुद्दे भी उठाए। उन्होंने महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने और संविधान का सम्मान करने का भी उल्लेख किया। मगर जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर उन्होंने खास जोर दिया और कहा कि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित हर मुद्दे पर विचार करते हुए पूरे दश के लिए जनसंख्या संतुलन की नीति लाई जानी चाहिए। तभी इसका लाभ होगा। मजहब के आधार पर जनसंख्या के असंतुलन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में असंतुलन के कारण भौगोलिक सीमाएं बदल जाती हैं और इसी कारण भारत को

गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। उन्होंने 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को इसी असंतुलन का कारण बताया और कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई नए देश बने। जनसंख्या वृद्धि के अलावा उन्होंने जबरन धर्मांतरण और विदेशी घुसपैठ का भी उललेख किया। उनका कहना है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही देश के संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा।

समाचारपत्र का कहना है कि माहन भागवत इससे पूर्व भी अनेक अवसरों पर जनसंख्या नियंत्रण की वकालत करते हुए उसे धार्मिक आधार पर संतुलित करने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। संघ और उसके समर्थक यह प्रचार करते आ रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सरकार द्वारा बार-बार इसका खंडन किया जाता है। मगर इसके बावजूद यह दुष्प्रचार जारी है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात ऐसा नहीं है, जिससे कोई विस्फोटक स्थिति पैदा हो सके। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि में दो प्रतिशत की कमी आई है। अगर यह वृद्धि दर जारी रही तो भारत 2025 या इससे पहले सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन को पीछे छोड़ देगा और पहले स्थान पर आ जाएगा। लेकिन 2060 में हिंदुस्तान की आबादी में गिरावट आनी शुरू होगी और इस शताब्दी के अंत तक जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात शून्य तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को विस्फोटक घोषित करना जनता को गुमराह करने के बराबर है। संघ और उससे संबंधित लोगों का एक तर्क यह भी है कि ज्यादा जनसंख्या के कारण अस्पतालों, नौकरियों और उपलब्ध खाद्यान में संकट पैदा हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि नए संसाधन पैदा किए जाएं। जनसंख्या पर जबरन नियंत्रण इसका हल नहीं है। ज्यादा जनसंख्या के कारण आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती। बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर जनसंख्या पर जबरन नियंत्रण करने की कोशिश की गई तो देश में वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ेगा और काम करने वाले लोग उपलब्ध नहीं होंगे। जैसा कि चीन में देखा जा रहा है। चीन ने 1980 में जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए एक बच्चे का कानून लागू किया था। इसका नतीजा यह निकला कि इसकी जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ गया और काम करने वालों की जनसंख्या कम हो गई। इसके कारण उसे अपनी पुरानी नीति बदलनी पड़ी है और अब बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के संसाधनों पर बोझ नहीं होती बल्कि संपदा होती है और वह देश के नवनिर्माण में अपना हिस्सा डालती है, जिसे 'जनसांख्यिकीय लाभांश' कहा जाता है। हिंदुस्तान में वर्तमान हालात में जनसंख्या पर नियंत्रण की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। बल्कि आर्थिक

विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसका लाभ उठाया जाना चाहिए।

इत्तेमाद (8 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के जनसंख्या में असंतुलन वाले बयान की आलाचना की है और कहा है कि कुछ दिन पहले जब मोहन भागवत ने दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया था और कुछ मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी, तब यह अनुमान लगाया गया था कि वे देश में धार्मिक सद्भावना को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विजयादशमी के मौके पर उन्होंने नागपुर में जो उद्बोधन दिया है उससे साफ हो गया है कि आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न ही मुसलमानों के बारे में उसकी सोच बेहतर हुई है। भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इसमें धार्मिक संतुलन को बरकरार रखना बेहद महत्त्वपूर्ण है। उनका यह कहना है कि जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण देश खंडित हो जाते हैं और भौगोलिक सीमाएं बदल जाती हैं। बढ़ती आबादी पर नियंत्रण और धार्मिक आधार पर जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। इसलिए जनसंख्या के बारे में एक व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिसे देशवासियों के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों के पुराने एजेंडे को दोहराते हुए कहा कि जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। इनमं प्रजनन दर में वृद्धि के साथ-साथ धर्मांतरण और पड़ोसी देशों से गैरकानूनो तौर पर भारत में घुसपैठ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर धर्म के आधार पर जनसंख्या में असंतुलन और जबरन धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो इससे देश की एकता खंडित हो सकती है। इसे हम 1947 में भुगत चुके हैं और जनसंख्या में असंतुलन के कारण कई नए देश बने हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि आमतौर पर हिंदू संगठन यह आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हिंदू नेता यह मांग करते आ रहे हैं कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कारगर नीति बनानी चाहिए। हालांकि सरकारी आंकड़े इस दावे का खंडन करते हैं। मोहन भागवत का यह भी कहना था कि जनसंख्या को संसाधनों की जरूरत होती है और अगर यह संसाधन उपलब्ध नहीं होते ता बढ़ती जनसंख्या बोझ बन जाती है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि बढ़ती जनसंख्या को देश की संपदा समझा जाए। अब तक देश में आबादी पर नियंत्रण की बात होती रही है और इस संबंध में कानून बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। मगर सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। पर्यवेक्षकों के अनुसार अब संघ प्रमुख ने इस मुद्दे को खुलकर उठाया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि मोदी सरकार भी इस दिशा में कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है।

मोहन भागवत ने महिलाओं के सशक्तिकरण और जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें समान अधिकार देने पर भी बल दिया है और कहा है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने जो भी बातें की हैं इस पर पहले भी भाजपा सरकारें कदम उठा चुकी हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बन चुके हैं। आरएसएस अब धर्म के आधार पर आबादी में असंतुलन की बातचीत कर रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस संबंध में कोई कदम उठा सकती है। विदेशों से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए मोदी सरकार ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून बनाया है। अब आरएसएस के प्रमुख जनसंख्या पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। क्या इसके लिए भी सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है? खास बात यह है कि मोहन भागवत की मुस्लिम नेताओं से हुई वार्ता के बाद मुसलमानों पर होने वाले हमले में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। गरबा में भाग लेने पर मुस्लिम नौजवानों की पिटाई की गई। विभिन्न बहानों की आड़ लेकर मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों को ध्वस्त किया गया। बीदर में भी मस्जिद पर अतिक्रमण किया गया। इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमानों को लेकर बहुसंख्यक समाज में समता की भावना बढ़े और वे मुसलमानों को अजनबी नजरों से देखना बंद कर दें।

गैरकानूनी मदरसे

हमारा समाज (15 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में मदरसों का जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। इस सर्वे में काफी मदरसे फर्जी और गैरकानूनी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ राज्य सरकार जरूरी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अलीगढ़ जिले की पांच तहसीलों में 103 गैरकानूनी मदरसों का पता चला है। ये मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में पंजीकृत किए बिना चलाए जा रहे थे। जिन मदरसों की जांच की गई है, उनमें एक मदरसा फैजान-ए-कुरान भी है। इस मदरसे का संचालक मोहम्मद मसूद आलम ने संवाददाताओं को बताया कि सर्वे टीम ने 11 प्रश्न पूछे थे। वे प्रश्न इस प्रकार हैं। मदरसे की भूमि किराए की है या खरीदी गई है? अगर जमीन खरीदी गई है तो किस तरीके से खरीदी गई है? मदरसे में कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? आपका पाठ्यक्रम कैसा है? क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं? बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं या नहीं? क्या मदरसे में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या

नहीं? आप जो मदरसा चला रहे हैं उसके लिए फंड कहां से आता है?

रोजनामा सहारा (15 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं हज विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसकी तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सर्वेक्षण किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य अल्पसंख्यकों को विकास के मार्ग पर लाना और उन्हें नए जमाने की धारा में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा इस सर्वेक्षण के आंकड़े 15 नवंबर तक राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी तक राज्य में 6 हजार 436 मदरसों का पता लगाया गया है, जो सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं और न ही उन्हें मदरसा बोर्ड की मान्यता ही प्राप्त है। राज्य में अब तक 5170 मदरसों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि इन मदरसों के छात्र एवं छात्राओं को भी उच्च स्तर की शिक्षा दी जा सके। उन्होंने यह आदेश दिया है कि हर जोन में अधिकारी विशेष टीम बनाकर प्रतिदिन मदरसों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करें।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने सभी मदरसों को यह निर्देश दिया है कि वे एक महीने के अंदर अपना पंजीकरण करवा लें। अगर उन्होंने निर्धारित समय में अपना पंजीकरण नहीं करवाया तो सरकार उन्हें बंद कर सकती है। गौरतलब है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में 419 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें से 192 को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अतिरिक्त राज्य में 400 से अधिक एसे मदरसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। उनमें शिक्षा पाने वाले बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है। क्योंकि पांचवीं कक्षा के बाद उन्हें स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि मदरसों में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं का लाभ वे उठा सकें। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि राज्य सरकार उत्तराखंड के मदरसों का सर्वेक्षण कराने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है।

पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध की पुष्टि के लिए न्यायाधिकरण का गठन

इंकलाब (7 अक्टूबर) के अनुसार केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध की पुष्टि के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया है, जिसका पमुख दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट और उससे संबंधित आठ अन्य संगठनों पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। इससे पूर्व देशव्यापी छापों में इन संगठनों से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। यह प्रतिबंध यूएपीए एक्ट 1967 की धारा तीन के तहत लगाया गया है। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसकी पुष्टि एक न्यायाधिकरण करता है, जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। दिनेश कुमार शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.सी. शर्मा ने मनोनीत किया है। गौरतलब है कि पॉपुलर फ्रंट के अतिरिक्त जिन अन्य संगठनों पर पतिबंध लगाया गया है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जुनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई. अबुबक्कर की जमानत की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर जमानत मांगी थी। उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अनुप कुमार मेंदीरत्ता ने 70 वर्षीय अबुबक्कर की याचिका को रद्द करते हुए कहा कि एनआईए एक विशेष कानून है, जिसके तहत हमारे पास जमानत की याचिका पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अबुबक्कर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कैंसर, पार्किंसन, मधुमेह जैसे रोग हैं। इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। उच्च न्यायालय ने उन्हें रिहा करने की बजाय उनकी रिमांड में छह दिन की वृद्धि कर दी है।

रोजनामा सहारा (5 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों पर छापे मारकर प्रतिबंधित संगठन से संबंधित 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग, अबुल फजल एनक्लेव और जामिया नगर में कुछ मकानों को भी सील कर दिया है।

सियासत (28 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहले चरण में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश में दर्जनों स्थानों पर छापे मारकर 247 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे अधिक गिरफ्तारियां दिल्ली में हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवाद का प्रशिक्षण देने के लिए फंड इकट्ठा करना, मुस्लिम नौजवानों को अस्त्र-शस्त्र का प्रशिक्षण देन जैसे आरोप शामिल हैं। कर्नाटक में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित सौ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इन पर आरोप है कि वे पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के विराध में प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 10 और असम में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सियासत (12 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध जमात-उल-मुजाहिदीन (बांग्लादेश) से बताया जाता है। एटीएस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग देश में गजवा-ए-हिंद के पक्ष में अपना नेटवर्क फैला रहे थे।

सियासत (7 अक्टूबर) के अनुसार केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां तमिलनाडु में हाल ही में गठित इस्लामिक फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु को गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। इस संगठन का संयोजक एम. रहमतुल्लाह है। यह संगठन एक एनजीओ के तौर पर पंजीकृत करवाया गया है। यह भी पता चला है कि मुंबई की रजा एकेडमी की गतिविधियों पर भी गुप्तचर विभाग की कड़ी नजर है।

सियासत (6 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली के खजूरी खास क्षेत्र में पॉपुलर फ्रंट के राजनीतिक विंग एसडीपीआई के दिल्ली शाखा के अध्यक्ष डॉ. इसरार अली खान और एक कार्यकर्ता डॉ. समून को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है। इसरार के बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके पिता का बहुजन समाज पार्टी से संबंध है और पॉपुलर फ्रंट से उनका कोई संबंध नहीं है।

सियासत (29 सितंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी लगाने की निंदा की है और उसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अक्टूबर) के अनुसार पॉपुलर फ्रंट से संबंध रखने के आरोप में एक मदरसे को वड़ोदरा पुलिस ने सील कर दिया है और उसके न्यासियों से पूछताछ की जा रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 अक्टूबर) के अनुसार हैदराबाद में तीन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध आइएसआईएस के साथ बताया जाता है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार दस्ती बम और लाखों रुपये नकद बरामद किए जाने का दावा किया है। सहारनपुर और हरिद्वार से आठ व्यक्तियों को अलकायदा से संबंध

रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ लोग मदरसों में रहते थे। पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश के आतंकवादी इन लोगों के पास शरण लिया करते थे। पुलिस ने तीन बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे।

टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने पर विवाद

रोजनामा सहारा (10 अक्टूबर) के अनुसार टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस रख जाने के बाद कर्नाटक में राजनीति तेज हो गई है। समाचारपत्र के अनुसार हाल ही में रेलवे बोर्ड ने बेंगलूरु से मैसूर जाने वाली ट्रेन टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया है। यह घोषणा भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रेन का नाम बदले जाने की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार को टीपू सुल्तान से नफरत है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों क खिलाफ तीन युद्ध लड़े थे। किसी अन्य ट्रेन का नाम भी वोडेयार एक्सप्रेस रखा जा सकता था। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से मुसलमानों की भावना को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले लाख कोशिश कर लें, मगर वे टीपू की विरासत को नहीं बदल सकते।

गौरतलब है कि भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उनसे इस रेलगाड़ी का नाम बदलने का आग्रह किया था। भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस सरकारी फैसले का स्वागत किया है। जबकि कर्नाटक कांग्रेस के नेता मंसूर अली खान ने कहा है कि रेलवे बोर्ड भाजपा के हाथों में खेल रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस सरकारी फैसले का विरोध किया है और कहा है कि भाजपा जानबूझकर देश में सांप्रदायिकता का विष घोल रही है।

विश्व

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा स्थगित

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अक्टूबर) के अनुसार चीन की जबर्दस्त लॉबिंग के बाद शिंजियांग के उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चर्चा नहीं हो सकी। जेनेवा में स्थित इस परिषद के 47 सदस्य हैं, जिनमें से 19 ने चर्चा न करने के पक्ष में मत दिया। जबकि 17 ने चर्चा का समर्थन किया और भारत सहित 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। खास बात यह है कि अधिकांश मुस्लिम देशों ने अपने हम-मजहब पर चीन द्वारा किए गए अत्याचारों पर चर्चा का समर्थन नहीं किया। पश्चिमी देशों द्वारा काफी समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ मानवाधिकारों से संबंधित परिषद में चर्चा हो और चीन की निंदा का प्रस्ताव पारित किया जाए। उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में काफी समय पूर्व परिषद ने एक रिपोर्ट पेश की थी। मगर चीन की जबर्दस्त लॉबिंग के कारण आज तक इस पर चर्चा नहीं हो सकी। यह रिपोर्ट परिषद के पूर्व अध्यक्ष मिशेल बाचेलेट ने तैयार की थी और उसमें यह आरोप लगाया गया था कि चीन द्वारा उइगर मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि यह चीन की तानाशाही के शिकार उइगर मुसलमानों से धोखा है।

परिषद में अमेरिकी प्रतिनिधि मिशेल टेलर ने अपन ट्वीट में कहा है कि अमेरिका शिंजियांग के मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में होने वाली चर्चा को रोकने की निंदा करता है और इस संबंध में कुछ देशों ने जो रवैया अपनाया है वह शर्मनाक है और इससे यह साफ होता है कि कुछ देशों को मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने की खूली छूट दी गई है। जिन देशों ने चर्चा के खिलाफ मत दिया, उनमें बोलीविया, कैमरून, चीन, क्यूबा, इरीट्रिया, गैबॉन, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, कजाकिस्तान, मौरीटानिया, नामीबिया, नेपाल, कतर, पाकिस्तान, सेनेगल, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला शामिल

थे। जबकि अर्जेंटीना, आर्मीनिया, बेनिन, ब्राजील, गाम्बिया, भारत, लीबिया, मलावी, मलेशिया, मैक्सिको और यूक्रेन ने मतदान में भाग नहीं लिया। चीन के प्रतिनिधि चेन जू ने कहा है कि कुछ देश संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ लेकर चीन क आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का प्रारूप मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक गठजोड़ के लिए है। आज चीन को निशाना बनाया गया है, कल किसी अन्य विकासशील देश को निशाना बनाया जा सकता है।

गौरतलब है कि इस रिपोर्ट का प्रारूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन और तुर्की सहित कुछ देशों ने पेश किया था। एक यूरोपीय विशेषज्ञ ने कहा है कि चाहे इस पर चर्चा न हुई हो, मगर हम लोग शिंजियांग में उइगर मुसलमानों के अधिकारों के हनन के मामले को प्रकाश में लाने में सफल रहे हैं। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पूर्व ही पेश की थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि चीन द्वारा शिंजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें अवैध हिरासत में रखा जा रहा है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई थी कि चीन ने दस लाख से अधिक उइगर और अन्य मुसलमानों को अवैध रूप से हिरासत में लिया और उनकी महिलाओं की जबरन नसबंदी की गई ताकि उनकी बढ़ती आबादी को रोका जा सके और उनके बहुमत को अल्पमत में बदला जा सके। चीन सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को आबाद किया ह, ताकि मुसलमानों के बहुमत को अल्पमत में बदला जा सके।

चीन न इन आरोपों का खंडन किया है और यह दावा किया है कि कट्टरपंथ और आतंकवाद को रोकने के लिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशल के महासचिव का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के बारे में जो लंबे-चौड़े दावे किए जा रहे थे, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। एक खास लॉबी के दबाव में मानवाधिकारों के संरक्षण का दावा करने वाली परिषद झुक गई है। दूसरी ओर, एचआरडबल्यू, चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन का कहना है कि यह उइगर मुसलमानों के साथ गद्दारी है और उन्हें धोखा दिया गया है।

रोजनामा सहारा (14 अक्टूबर) ने उइगर मुसलमानों के बारे में एक विशेष परिशिष्ट प्रकाशित किया है, जिसमें डॉ. मोहम्मद जियाउल्लाह का एक लेख प्रकाशित हुआ है। लेखक ने इस बात की निंदा की है कि अधिकांश मुस्लिम देशों ने चीन के दबाव में आकर अपने हम-मजहब मुसलमानों के साथ गद्दारी की है और दुनिया भर के मुसलमानों को यह संदेश दिया है कि वे मुस्लिम देशों पर भरोसा न करें और अपने

अधिकारों के लिए संवैधानिक ढंग से विश्व के अन्य देशों के सहयोग से लड़ें। मुस्लिम देशों ने इस्लामिक भाईचारे का जनाजा अपने कंधों पर उठाकर उसे सदा के लिए कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ने इस मुद्दे पर मतदान में भाग न लेने का जो फैसला किया है वह भारत की पुरानी नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात के पक्ष में हैं कि शिंजियांग के मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मगर हम यह मानते हैं कि सिर्फ प्रस्ताव पारित करने से कुछ हासिल नहीं होता। भारत इस बात के पक्ष में है कि इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए।

काबुल के स्कूल में आत्मघाती हमले से 100 बच्चे मरे

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान में बम धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 30 सितंबर को काबुल के एक स्कूल में हुए धमाके में कम-से-कम 100 से अधिक छात्र एवं छात्राएं मारे गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस धमाके के बाद का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। जगह-जगह मारे गए बच्चों के अंग बिखरे हुए थे और उनका खून फैला हुआ था। इस विस्फोट में मरने वाले बच्चों की पहचान करना तक कठिन हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार धमाका काबुल के पश्चिम में स्थित मोहल्ला दाशत-ए-बारची के एक स्कूल में हुआ। मरने वाले अधिकांश बच्चे शिया और हजारा कबीले के हैं। एक स्थानीय पत्रकार बिलाल सरवरी के अनुसार अब तक 100 से अधिक बच्चों की लाशें गिनी जा चुकी हैं। जिस स्कूल में यह धमाका हुआ वहां बच्चों की प्रवेश परीक्षा चल रही थी, जिसमें 600 से अधिक बच्चे भाग ले रहे थे। इस धमाके के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जाता है। जिस कमरे में बम धमाका किया गया, उसमें बच्चे परीक्षा दे रहे थे। 100 से अधिक बच्चों के जख्मी होन की भी खबर है।

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस घटना की पुष्टि की है। इस घटना के खिलाफ हजारा कबीले की सैकड़ों महिलाओं ने काबुल के बाजारों में उग्र प्रदर्शन किया और आईएसआईएस के खिलाफ नारे लगाए।

सालार ने 4 अक्टूबर के संपादकीय में कहा है कि जिन लोगों को यह आशा थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद शांति स्थापित होगी उनकी सारी आशाएं धूल में मिल गई हैं। कोई नहीं जानता कि इस तरह बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने वाले लोगों का लक्ष्य क्या है? हाल के धमाके में जो बच्चे मारे गए, उनमें लड़कियों की संख्या अधिक है। क्या इस्लाम में मासूम बच्चों की हत्या करना जायज है? अब यह साफ है कि आईएसआईएस अफगानिस्तान में तालिबान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में सक्रिय है। हद तो यह है कि मस्जिदों में भी नमाजियों को नमाज पढ़ते समय हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। मरने वाले अधिकांश शिया हैं। हालांकि आतंकवाद में विश्वास रखने वाले लोगों से मानवीय आधार पर कोई सवाल पूछना अर्थहीन है लेकिन अपने आप में यह अजीब बात है कि इस्लाम के नाम पर हथियार उठाने वाले लोग इस्लाम क अनुयायियों के ही खून से होली खेल रहे हैं। या फिर कोई और है जो इस्लाम और मुसलमानों की आड़ में इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आखिर आतंकवादियों को विद्या ग्रहण करने वाले बच्चों से क्यों चिढ़ है? क्या उन्हें इस बात से डर लगता है कि अगर अफगानिस्तान की नई नस्लें शिक्षित हो जाएंगी तो उनका जनाधार समाप्त हो जाएगा? अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन धमाकों के पीछे किन लोगों का हाथ है? और वे क्या चाहते हैं?

जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद में अजान

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार जर्मनी में एक नई मस्जिद का उद्घाटन हुआ है, जिसमें एक समय में 15 हजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें खास बात यह है कि जर्मनी की मस्जिदों में आम तौर पर मीनार नहीं होते हैं। मगर इस मस्जिद में मीनार हैं। यह मस्जिद जर्मनी के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र उत्तरी राईन में नदी के किनारे ऐतिहासिक नगर कालोन में बनाई गई है। इस क्षेत्र में मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हं और

उनमें से अधिकांश तुर्की मूल के हैं। पहले जर्मनी की मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर प्रतिबंध था। मगर कालोन की महिला महापौर ने

इस मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान देने की अनुमति प्रदान कर दी है। उनका कहना है कि यह कदम मुसलमानों की धार्मिक भावनाआं को सम्मान देने के लिए उठाया गया है।

इस मस्जिद के प्रबंधन का कार्य तुर्की की एक संस्था के पास है। मस्जिद के प्रबंधक अब्दुर्रहमान अतासॉय ने कहा है कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम जर्मनी में नहीं बल्कि किसी मुस्लिम देश में रह रहे हैं, जहां हमें अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी आजादी है। गौरतलब है कि इस मस्जिद का उद्घाटन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सितंबर 2018 में जर्मनी के दौरे के दौरान किया था। कालोन में मुसलमानों की जनसंख्या एक लाख से भी अधिक है। जबकि जर्मनी की अन्य मस्जिदों में सिर्फ जुमे की नमाज के अवसर पर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस बात का भी निर्देश है कि लाउडस्पीकर की आवाज धीमी होनी चाहिए, ताकि उससे अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो।

रूस में मीडिया पर प्रतिबंध

इत्तेमाद (3 अक्टूबर) के अनुसार रूस ने मीडिया पर कई नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि मीडिया सेना के आवागमन के बारे में किसी तरह के आकड़े प्रकाशित न करें और सिर्फ वही खबरें प्रकाशित करें जो उन्हें सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जाएं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इन निर्देशों का जिस भी मीडिया संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाएगा, उस पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा या फिर उसे 50 लाख रूबल जुर्माना देना होगा। रूस का जब से यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ है सरकार ने मीडिया पर अनेक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। एक नए कानून के अनुसार सेना के बारे में झूठी खबरें देना अपराध घोषित किया गया है और दोषी व्यक्ति को 15 वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है। सरकार के सख्त रवैये के कारण अनेक मीडिया संस्थानों ने काम करना बंद कर दिया है। जबकि कई मीडिया संस्थानों के लाइसेंस को सरकार ने रद्द कर दिया है। प्रमुख रूसी अखबार 'नोवाया गजेटा', जिसके संपादक दमित्री मुरातोव को पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इस समाचारपत्र का भी लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि बीबीसी सहित विदेशी प्रसारण संस्थानों को रूसी भाषा में सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय संगठन 'सीपीजे' के अनुसार अब तक रूस में 15 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना

हुई रैलियों के समाचार की रिपोर्टिंग की थी। जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनमें स्वतंत्र पत्रकार यूलिया विष्णवेत्सकाया भी शामिल हैं जो 'रेडियो फ्री यूरोप' के लिए काम करती हं। उनके वकील का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी का कारण यह है कि उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना आयोजित की जाने वाली एक रैली के समाचार को कवर किया था। मानवाधिकारों के संगठन ह्यूमन राइट्स वाच के अनुसार रूस सरकार की सख्त नीति के कारण इस वर्ष 150 पत्रकारों को रूस से भागना पड़ा है और नए नियमों के तहत मीडिया के खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

चीन द्वारा बलूचों को पाकिस्तान भेजने के लिए दबाव

हमारा समाज (4 अक्टूबर) के अनुसार खाड़ी के मुस्लिम देशों पर चीन इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वे वहां रहने वाले बलूच नागरिकों को जबरन पाकिस्तान भेज दें, जो आजाद बलूचिस्तान के आंदोलन और पाकिस्तान में चीन के पूंजी निवेश का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद के सूचना सचिव अब्दुल्ला अब्बास ने कहा है कि 2018 में चीनी दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि उसके देश में रहने वाले राशिद हुसैन, जो कराची के चीनी दूतावास पर हमले का दोषी है, उसे जबरन पाकिस्तान भेज दिया जाए। चीनी दबाव के कारण संयुक्त अरब अमीरात ने इस बलूच नागरिक को हिरासत में ले लिया और सात महीने तक अपनी हिरासत में रखन के बाद उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अब पाकिस्तान में उस पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इसी तरह चीनी दूतावास के दबाव पर उसके एक भाई को भी संयुक्त अरब अमीरात के गुप्तचर विभाग ने जबरन गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया है।

अब्बास ने दावा किया है कि चीन खाड़ी देशों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वे आजाद बलूचिस्तान के समर्थक बलूच कार्यकर्ताओं को अपने देश में रहने की अनुमति न दें। अब्बास का यह भी कहना है कि कुछ महीने पूर्व कतर में बलूचियों ने एक प्रदर्शन का आयोजन करके पाकिस्तान में चीनी पूंजी निवेश का विरोध किया था। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में चीन की सहायता से स्थापित किए जाने वाली परियोजनाओं का व्यापक रूप से विरोध हो रहा है। बलूचियों का आरोप है कि चीन उनकी खनिज संपदा का दोहन कर रहा है। पिछले महीने कराची में एक चीनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जाता है। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी विद्रोह के स्वर दिन-प्रतिदिन मुखर हो रहे हैं। हाल ही में दक्षिणी सिंध में सिंधुदेश पीपुल्स आर्मी नामक एक उग्रवादी संगठन के सक्रिय होने का समाचार है। हाल ही में इस संगठन ने सिंध में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर हमला किया है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के कड़े निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से संबंधित चीनी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि गत वर्ष बलूचिस्तान में बलूच लिब्रेशन आर्मी ने तीन हमलों में चीन के एक दर्जन विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी।

पश्चिम एशिया

ईरान में हिजाब विरोधी जनांदोलन में 200 मरे

पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले उर्दू अखबार **जंग** (15 अक्टूबर) के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन दिन-प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि अब तक इस आंदोलन में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार ईरान के गुप्तचर विभाग के प्रमुख अली मौसावी की हत्या कर दी गई है। उन्हें ईरान के सिस्तान सूबे में कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने सीने में गोली मार दी थी। ईरान के लिए यह सबसे बड़ा झटका है।

इंकलाब (9 अक्टूबर) के अनुसार फ्रांस ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे तुरंत ईरान छोड़ दें। क्योंकि वहां की सरकार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें गैरकानूनी हिरासत में रखा जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार यह खतरा उन लोगों के लिए भी है, जो पर्यटक के रूप में ईरान का भ्रमण कर रह हैं। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने यह दावा किया है कि अगर कोई फ्रांसीसी नागरिक सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले में फ्रांसीसी दूतावास की शक्तियां बहुत सीमित हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने दो फ्रांसीसी नागरिकों को टेलीविजन पर पेश किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने अध्यापकों और छात्रों की हड़ताल को भड़काने में भाग लिया था। इनके अतिरिक्त दो अन्य फ्रांसीसी नागरिक जो ईरानी मूल के हैं, उन्हें भी ईरान सरकार ने अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। इन्हें मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर जासूसी का आरोप है। फ्रांसीसी दूतावास के अनुसार इस समय 20 से अधिक फ्रांसीसी नागरिक अवैध रूप से ईरान सरकार की हिरासत में हैं।

हमारा समाज (4 अक्टूबर) के अनुसार ईरान में भड़के जनांदोलन के बाद पाकिस्तान ने

ईरान के साथ अपनी सीमा को बंद कर दिया है। समाचारपत्र का दावा है कि ईरान के सूबा सिस्तान के चाबहार में एक पुलिस अधिकारी ने एक 15 वर्षीय प्रदर्शनकारी लड़की के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया। लोग पुलिस और सुरक्षा सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और सरकारी संपत्ति को फूंका जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने आरोप लगाया है कि इन दंगों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा द रहे हैं। गौरतलब है कि सिस्तान मूल रूप से वृहद बलूचिस्तान का हिस्सा है और उसकी अधिकांश जनसंख्या बलूच है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कम-से-कम दस पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को उग्र भीड़ ने मार दिया है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल के इन उग्र प्रदर्शनों में कम-से-कम 20 पुलिस और सुरक्षा कर्मचारी ईरान के विभिन्न हिस्सों में मारे जा चुके हैं।

इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार ईरानी पुलिस ने नौ विदेशियों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, हॉलैंड और स्वीडन के नागरिक शामिल हैं।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार तेहरान में एक महिला को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह एक रेस्टोरेंट में बिना हिजाब पहने नाश्ता कर रही थी। गौरतलब है कि पिछले महीने ईरान में उस समय दंगे शुरू हुए थे, जब पुलिस हिरासत में एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की मौत हो गई थी।

अवधनामा (15 अक्टूबर) ने भारत में ईरान के एक धार्मिक नेता मोलाना मेहदी महदीवपुर का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिमी देश ईरान सरकार को बदनाम करन के लिए झूठी खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। इस संदर्भ में 'मिल्लत टाइम्स' ने इस ईरानी मौलाना का लंबा इंटरव्यू प्रकाशित किया है, जिसमें इस व्यक्ति को ईरान के प्रमुख धामिक नेता अयातुल्लाह खोमैनी का प्रतिनिधि बताया गया है। इस इंटरव्यू में भारत में ईरान के इस धार्मिक नेता ने यह दावा किया है कि 22 वर्षीय ईरानी युवती महसा अमीनी पुलिस के उत्पीड़न के कारण नहीं मरी, बल्कि उसकी मौत हृदय गति रूक जाने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान पुलिस किसी महिला के साथ का जोर-जबर्दस्ती नहीं करती। ईरान एक इस्लामिक देश है। यहां की महिलाएं अपनी मर्जो से हिजाब और बुर्का पहनती हैं। यूरोपीय मीडिया जानबूझकर इस्लाम और ईरान को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें चला रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अक्टूबर) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें पासदारान-ए-इंकलाब के एक वरिष्ठ कमांडर ने यह स्वीकार किया है कि महसा अमीनी की मौत सिर पर लगी चोट के कारण हुई थी। यह चोट उसे पुलिस हिरासत में लगी थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 अक्टूबर) के अनुसार हिजाब के खिलाफ जनांदोलन अब कई अन्य देशों में भी फैल गया है। इनमें इराक और तुर्की भी शामिल हैं। ईरानी समाचार एजेंसी 'तसनीम' ने यह दावा किया है कि इन हमलों में अब तक 133 लोग मारे जा चुके हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अक्टूबर) के अनुसार यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव में ईरान की हिंसा की निंदा की है और यह दावा किया है कि ईरानी सुरक्षा सैनिकों ने अबादान नगर में कम-से-कम 82 लोगों को मौत के घाट उतारा है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 9 अक्टूबर के अंक में अमेरिका के मानवाधिकार संरक्षक 20 संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें यह मांग की गई है कि अमेरिका खुलकर ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करे आर इस मामले को सुंयक्त राष्ट्र संघ में उठाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 अक्टूबर) के अनुसार ईरान के उप गृहमंत्री माजिद मीरहमदी ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल ईरान में दंगों की ज्वाला भड़का रहे हैं। इनका लक्ष्य ईरान को अस्थिर करना और उसे आर्थिक रूप से तबाह करना है। उन्होंने हाल के दंगों में 185 व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की है, जिनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं।

कौमी तंजीम (1 अक्टूबर) के अनुसार यूरोप के कई देशों में ईरानी महिलाओं के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। नार्वे में पुलिस ने सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। समाचारपत्र का दावा है कि इस समय 70 देश ऐसे हैं, जिनमें ईरान की छात्राओं के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं।

कौमी तंजीम (8 अक्टूबर) के अनुसार एक 16 वर्षीय लड़की नीका शकरामी की भी पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। इसके रिश्तेदारों को सरकार ने उसके शव को दफनाने की अनुमति नहीं दी है और उसके दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। नीका शकरामी की खाला आतिश शकरामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस 16 वर्षीय लड़की को ईरानी पुलिस उसके घर से उठाकर ले गई थी और दस दिन बाद पुलिस ने उसकी हत्या का समाचार उसके परिवारजनों को दिया है। पुलिस ने इस लड़की की लाश को अपनी निगरानी में दफना दिया है।

टिप्पणी: मॉरल पुलिस के खौफ में 17 देशों की मुस्लिम महिलाएं जी रही हैं। इस्लामिक देशों में मॉरल पुलिस की ऐसी व्यवस्था है जो शरिया के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करता है और उन्हें 'सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स' का अनुपालन कराता है। यह व्यवस्था उन देशों में है जो शरिया के आधार पर इस्लामिक देश हैं। ईरान में इसी पुलिस के हाथों हिजाब न पहनने वाली एक युवती महसा अमीनी की हत्या के बाद जनाक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। ईरान में मॉरल पुलिस को 'गश्त-ए-इरशाद' का नाम दिया गया है। यह पुलिस इस्लामिक ड्रेस कोड और शरिया को सख्ती से लागू करती है। सऊदी अरब में इस तरह की पुलिस 1940 से काम कर रही है और इसे 'कमेटी फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड द पिवेंशन ऑफ वाइस' का नाम दिया गया है। इसके पुलिसकर्मी 'मुतवीन' कहलाते हैं और वे सख्ती से इस्लामिक शरिया को लागू करते हैं। सूडान में इसका गठन 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल-बशीर के शासनकाल में हुआ था और इसे 'पब्लिक ऑर्डर पुलिस' का नाम दिया गया है। मलेशिया में हिजाब और अन्य इस्लामिक वेशभूषा को सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई है, जो विवाहेत्तर संबंधों, शराब पीना, रमजान में रोजा न रखने और नमाज न पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करता है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई शरीयत कानून के तहत किया जाता है। नाइजीरिया में इस पुलिस का नाम 'हिस्बा' रखा गया है। अफगानिस्तान में भी 1992 में एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया था जिसका कार्य शरिया को लागू करना था। ■

तेल के उत्पादन में कटौती से सऊदी अरब और अमेरिका में ठनी

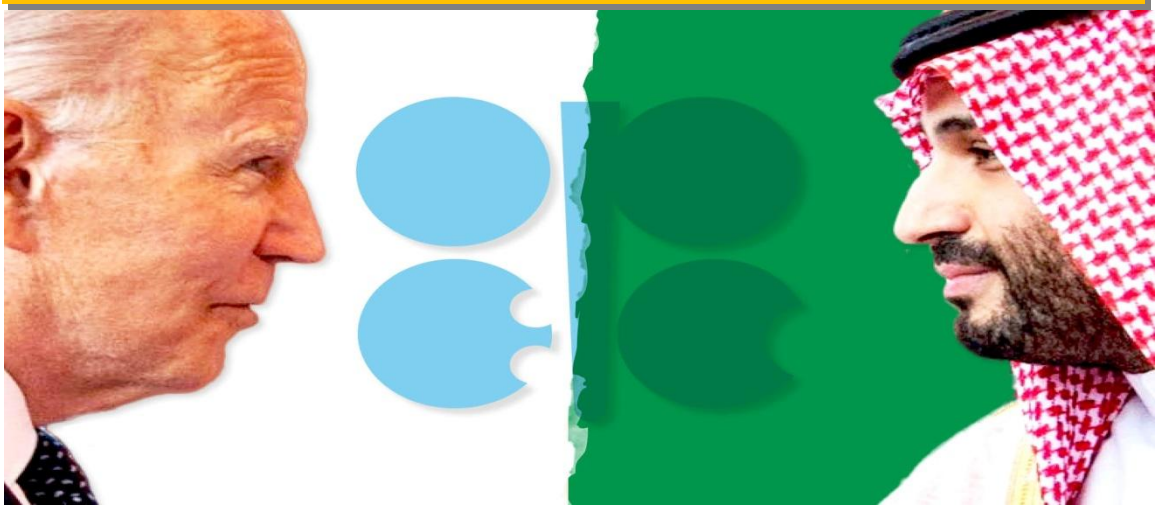

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती करने के कारण सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ठन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने धमकी देते हुए कहा है कि सऊदी अरब को इसके परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि तेल उत्पादक 12 देशों ने यह फैसला किया है कि तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती की जाएगी। अमेरिकी मीडिया ने यह मत व्यक्त किया है कि सऊदी अरब ने यह निर्णय मास्को के इशारे पर किया है। जबकि सऊदी अरब का दावा है कि आर्थिक कारणों से तेल उत्पादक देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दबाव है कि सऊदी अरब के नए रूख को देखते हुए अमेरिका को सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी ओर व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ सुरक्षा संधि को बरकरार रखना अमेरिका के हित में है। इस समय सऊदी अरब में 70 हजार अमेरिकी रह रहे हैं।

अवधनामा (10 अक्टूबर) के अनुसार तेल उत्पादक देशों के फैसले के तहत सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में जो कटौती की है उसके कारण अमेरिका का सऊदी अरब के साथ तनाव पैदा हो गया है। समाचारपत्र के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह तेल के उत्पादन में कटौती न करे। मगर सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव में आने से इंकार कर दिया है। सऊदी अरब के इस निर्णय से राष्ट्रपति जो बाइडेन को राजनीतिक दृष्टि से धक्का लगा है और मध्यावधि चुनाव में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को क्षति होने की संभावना है।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने अल अरेबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तेल उत्पादक देशों ने तल के उत्पादन में कटौती करने का जो फैसला किया है वह सर्वसम्मति से किया गया है और इसका लक्ष्य बाजार में स्थिरता लाना और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सैनिक सहयोग दोनों देशों के हित में है और इसके कारण इस क्षेत्र में स्थिरता आती है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। जहां तक यमन के संकट का संबंध है, सऊदी अरब

इस बात का प्रयास कर रहा है कि वहां पर युद्धविराम में विस्तार किया जाए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के शाही परिवार के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि अमेरिका हालांकि सऊदी अरब का साझेदार है और सऊदी अरब अमेरिका के साथ नजदीकी संबंध भी बनाए रखना चाहता है। मगर शाही परिवार यह नहीं चाहता कि वह अपने देश को अमेरिकी राजनीतिज्ञों के रहमो-करम पर छोड़ दे। सऊदी अरब के मीडिया विशेषज्ञ अली सहाबदी का कहना है कि तेल के उत्पादन के बारे में अमेरिका और अरब के बीच जो विवाद चल रहा है, उससे कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ओपेक देशों के दबाव के कारण सऊदी अरब को अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना तेल के उत्पादन में 20 प्रतिशत कटौती करनी पड़ी है। हालांकि अमेरिका की यह इच्छा थी कि वहां पर होने वाले मध्यावधि चुनाव को देखते हुए सऊदी अरब को फिलहाल एक महीने के लिए तेल के उत्पादन में कटौती के फैसले को टाल देना चाहिए। क्योंकि इस फैसले से तेल की कीमतों में वृद्धि होगी जो चुनाव में बाइडेन के लिए लाभदायक नहीं है। अमेरिका की परेशानी यह है कि वह इस बात को सहन नहीं करना चाहता कि सऊदी अरब चीन और रूस के नजदीक चला जाए। इसी तरह से सऊदी अरब भी यह भलीभांति जानता है कि वह सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है।

इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार हाल ही में अमेरिका ने अपने रक्षा सहयोगियों की जो सूची जारी की है उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल नहीं हैं। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा शत्रु चीन को करार दिया है। इस संबंध में 48 पृष्ठों की एक दस्तावेज जारी की गई है, जिसमें दक्षिणी और मध्य एशियाई देशों में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे का उल्लेख किया गया है, जिनसे निपटने के लिए पाकिस्तान का अमेरिका के मुख्य सहयोगी के रूप में कोई उल्लेख नहीं है। पाकिस्तान को काफी समय से यह शिकायत है कि अमेरिका उसे अफगानिस्तान और अन्य देशों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए एक माध्यम के रूप में देखता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने भी पाकिस्तान के साथ चीन के नजदीकी संबंधों की कोई आलोचना नहीं की है।

इत्तेमाद ने 13 अक्टूबर के संपादकीय में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तनाव की चर्चा की है और कहा है कि इसका एक कारण यह है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में सऊदी सरकार निष्पक्ष रही है। जबकि सारे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हैं। सऊदी अरब की रूस के साथ बढ़ती दोस्ती के कारण अमेरिका को परेशानी हो रही है। तीन महीने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया था। उनके इस दौरे का उद्देश्य यह था कि सऊदी अरब तेल के उत्पादन में वृद्धि करे। मगर हुआ इसका उल्टा। सऊदी अरब ने उत्पादन में कटौती कर दी। विशेषज्ञों के अनुसार सऊदी अरब तेल के मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहता है। इसके साथ ही उसका यह भी प्रयास है कि वह अमेरिका को

नाराज न करे। क्योंकि अमेरिका से उसके कई हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन को इस बात का डर है कि तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि स चुनाव जीतने में उनके लिए कठिनाईयां आ सकती हैं। इसके साथ ही अमेरिका अपने सुरक्षित तेल के भंडारों से तेल निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि इनमें बहुत कम तेल बचा है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अमेरिका के लिए तेल के मामले में जबर्दस्त कठिनाई पैदा हो सकती है। वाल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका तेल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा सकता है। वेनेजुएला 90 के दशक तक तेल का एक बड़ा उत्पादक देश था। मगर बाद में पूंजी निवेश की कमी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण उसकी स्थिति बिगड़ गई। अब समस्या यह है कि सऊदी अरब अमेरिका को नाराज किए बिना रूस के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधार पाएगा?

इराक का नया राष्ट्रपति

इत्तेमाद (15 अक्टूबर) के अनुसार इराक की संसद ने कुर्द नेता अब्दुल लतीफ राशिद को इराक का नया राष्ट्रपति मनोनीत किया है। राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही उन्होंने मोहम्मद शिया अल-सुदानी को देश का नया प्रधानमंत्री मनोनीत करके उन्हें नई सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद दश की राजनीति में जो अस्थिरता चल रही थी उसके दूर होने की संभावना बढ़ गई है। 78 वर्षीय अब्दुल लतीफ राशिद पेशे से इंजीनियर हैं और वे ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। 2003 से 2010 तक वे इराक के जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। इराक के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद कुर्द के लिए सुरक्षित है। जबकि प्रधानमंत्री शिया और संसद का अध्यक्ष सुन्नी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बरहाम सालह को पराजित किया है और संसद में सबसे बड़े गठबंधन कोऑर्डिनेशन फ्रम वर्क के मनोनीत नेता शिया अल-सुदानी को नई सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है।

कोऑर्डिनेशन फ्रेम वर्क में शियाओं के विभिन्न धड़ों का गठबंधन है। अल-सुदानी इससे पूर्व मानवाधिकार और सामाजिक मामलों के मंत्री रह चुके हैं। पिछले वर्ष इराकी संसद का चुनाव हुआ था, जिसमें इराकी शिया विद्वान मुक्तदा अल-सदर के गठबंधन ने हालांकि सबसे अधिक सीटें प्राप्त की थी, मगर वे नई सरकार का गठन करने में विफल रहे थे। इसके बाद उनके समर्थक 73 सांसदों ने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और अल-सदर ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद बगदाद में हिंसा की ज्वाला भड़क उठी, जिसमें कई लोग मारे गए।

इजरायल और लेबनान के बीच समझौता

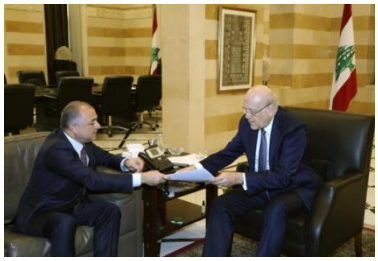

रोजनामा सहारा (12 अक्टूबर) के अनुसार लेबनान और इजरायल के बीच भूमध्य सागर की सीमा को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब उसका समाधान हो गया है। अमेरिका के प्रयासों से दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के कारण अब लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी सिरे पर गैस की खोज कर सकेगा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र के एक भाग में इजरायल पहले ही गैस के भंडारों की खोज कर चुका है। इस क्षेत्र से गैस की तलाश करने के मुद्दे पर लेबनान और इजरायल के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इस समझौते के विवरण की बाद में विधिवत घोषणा की जाएगी। लेबनान की ओर से इस बातचीत में भाग लेने वाले संसद के उपाध्यक्ष इल्यास बौ साब ने मीडिया को बताया कि इस समझौते से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। इजरायल की वार्ता टीम के प्रवक्ता इयाल हुलाता ने बताया कि हमने जो संशोधन मांगे थे, वह लेबनान ने मान लिए हैं। अब समझौते के प्रस्ताव को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के पास अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

सोमालिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हमला

रोजनामा सहारा (5 अक्टूबर) के अनुसार सोमालिया में दो कार बम धमाकों में एक मंत्री और एक कमिश्नर सहित नौ लोग मारे गए। इस्लामिक आतंकी संगठन अल-शबाब ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। दूसरी ओर, सरकार ने यह दावा किया है कि अल-शबाब के आतंकियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब तक इस इस्लामिक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए 200 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि अल-शबाब का संबंध अलकायदा से है।

गौरतलब है कि सोमालिया में अल-शबाब और सरकार के बीच कई वर्ष से खूनी संघष चल रहा है। अलकायदा के आतंकवादी देश के एक तिहाई हिस्से पर काबिज हैं। फौज के कमांडर ने बताया कि सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में उनका एक नेता अब्दुल्लाही यारे मारा गया है। इसके अतिरिक्त अलकायदा का उप प्रमुख अब्दुल अली भी इन हमलों में मारा गया है। इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर अमेरिकी सरकार ने 30 लाख डॉलर का ईनाम घाषित कर रखा था। अब्दुल अली अल-शबाब के संस्थापकों में से एक था। उसे अल-शबाब के वर्तमान प्रमुख अहमद उमर का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। सामालिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने घोषणा की है कि सेना अल-शबाब का नामोनिशान मिटाने के लिए देशव्यापी कार्रवाई शुरू कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अल-शबाब के नियंत्रण वाले इलाकों से निकल जाएं, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। गौरतलब है कि गत 15 वर्षों में सोमालिया में अल-शबाब और सरकार के बीच गृहयुद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह घोषणा की है कि उनका देश अलकायदा के उन्मूलन के लिए सोमालिया सरकार को हर तरह की सैनिक सहायता उपलब्ध कराएगा।

अन्य

स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर 1000 डॉलर जुर्माना

औरंगाबाद टाइम्स (14 अक्टूबर) के अनुसार स्विस सरकार ने एक कानून का प्रारूप संसद को भेजा है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो महिला बुर्का पहनेगी उसे 1000 डॉलर जुर्माना होगा। गौरतलब है कि गत वर्ष चेहरे को ढकने के बारे में स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 51 प्रतिशत लोगों ने बुर्का पर प्रतिबंध का समर्थन किया था। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम में हस्तक्षेप बताया था। मूल प्रस्ताव में बुर्का पहनने वाली महिला को तुरंत गिरफ्तार करने और उससे दस लाख डॉलर जुर्माना वसूल करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें अब मंत्रिमंडल ने संशोधन कर दिया है। गौरतलब है कि स्विटजरलैंड की कुल जनंख्या 86 लाख है, जिनमें 5 प्रतिशत मुस्लिम हैं और इनका संबंध तुर्की, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और कोसोवो से है।

समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग रद्द

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अक्टूबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला पर आधारित एक न्यायपीठ ने भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने की याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है। न्यायपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी भी की कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय समाज में विभिन्नता है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इस समय समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

आईएसआईएस केस में आरोपी बरी

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष न्यायालय ने आईएसआईएस में युवकां को भर्ती करने के आरोपी अरशो कुरैशी को बरी कर दिया है। कुरैशी गत कई वर्षों से जेल में बंद था। उसके मुकदमे की पैरवी जमीयत उलेमा हिंद की ओर से की गई थी। गौरतलब है कि जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के पीआरओ अरशी को पहले मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी इस केस की जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया था। उस 2016 में गिरफ्तार

किया गया था। उसके खिलाफ गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने और राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया था। उसकी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत भी की गई थी। इस केस में कुल 57 गवाह पेश हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष न्यायालय के जज ए.एम. पाटिल ने कुरैशी को बरी कर दिया है और कहा है कि उसके खिलाफ कोइ आरोप सिद्ध नहीं होता है। इस मुकदमे की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील इशरत अली खान का कहना है कि इस मुकदमे के आधार पर जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब क्यांकि सरकार यह मुकदमा

हार गई है, इसलिए जाकिर नाइक के संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध को वे अदालत में चुनौती देंगे।

महाराष्ट्र में टेलीफोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम्

मुंबई उर्दू न्यूज (3 अक्टूबर) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी कमचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि व जनता का टेलीफोन आने पर उसका उत्तर हेलो की जगह वंदे मातरम् कह कर दें। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि हेलो में पश्चिमी संस्कृति की झलक मिलती है और इस शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है जबकि वंदे मातरम कहने से लोगों में देशभक्ति की भावना

उत्पन्न होती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि हालांकि वंदे मातरम् का वे सम्मान करते हैं, मगर सरकार को अपने किसी भी कर्मचारी की अभिव्यक्ति की आजादी में बाधक नहीं बनना चाहिए। वंदे मातरम् कहने से एक विशेष भावना उत्पन्न होती है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए।

काबा की जियारत करने वालों के लिए बहुभाषी कर्मचारी

सियासत (13 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने काबा में ऐसे कर्मचारियों को नियक्त करने का फैसला किया है जो वहां पर आने वाले लोगों के मार्गदर्शन के लिए 50 भाषाएं बोल सकते हैं। इस संबंध में मस्जिद-अल-हरम के प्रबंधकों ने विशेष व्यवस्था की है। हर यात्री को उसकी मातृभाषा में ही मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नमाज के समय और इस्लाम के बारे में अन्य जानकारी भी 50 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में सुरक्षा अधिकारियों, हज व उमरा के मंत्रालय, सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी आदि के बीच सहयोग की व्यवस्था की गई है। सऊदी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की यह दिली इच्छा है कि मक्का में काबा की यात्रा में आने वालों के लिए अधिक-से-अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

RNI No. DELHIN/2017/72722

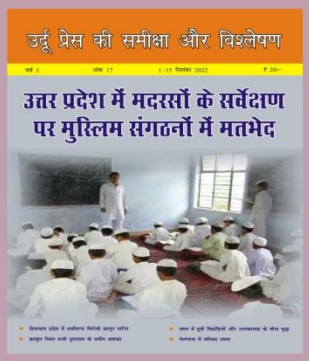

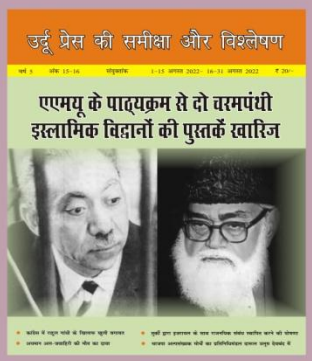

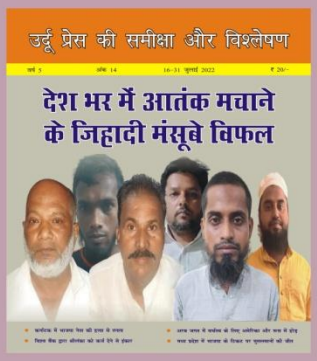

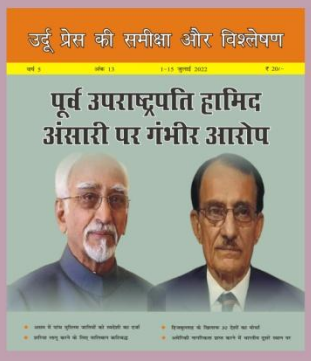

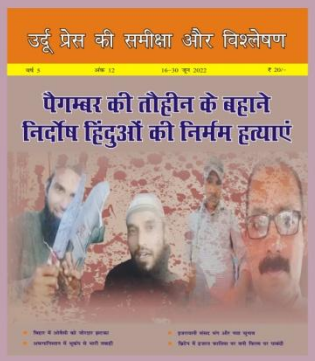

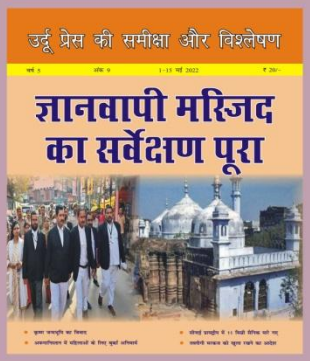

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in